**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**11.03.2026 के**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3138 का उत्तर**

**संशोधित टिकट रद्दीकरण नीति**

3138. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:
सुश्री सयानी घोष:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संशोधित टिकट निरस्तीकरण नीति के साथ वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियाँ शुरू की हैं या शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पारंपरिक मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों/रेलगाड़ियों की अन्य श्रेणियों की तुलना में वंदे भारत स्लीपर सेवाओं के लिए टिकटों का निरस्तीकरण यात्रियों के लिए एक कठिन/महंगा सौदा होने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियों में विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू निरस्तीकरण शुल्क का ब्यौरा क्या है और उच्च शुल्क निर्धारित करने के पीछे क्या तर्क है;

(घ) क्या सरकार यह मानती है कि ऐसे नियम विशेष रूप से आपात स्थिति, बीमारी या अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामलों में यात्री की सुविधा को सीमित करते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेल मंत्रालय ने इन मानदंडों को अंतिम रूप देने से पहले मध्यम वर्गीय यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों पर, विशेषकर चिकित्सा या अपरिहार्य आपात स्थितियों के मामलों में, ऐसे निरस्तीकरण शुल्क के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियों के यात्रियों से अधिक किराया लिए जाने के बावजूद उन पर असमान और भारी निरस्तीकरण दंड लगाने का क्या तर्क है;

(छ) क्या सरकार निरस्तीकरण और रिफंड नीति को अधिक यात्री-अनुकूल और न्यायसंगत बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने या इसे तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या 4 घंटे के बजाय 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने से यात्रियों की बिना किसी भारी वित्तीय हानि के टिकट निरस्त करने की क्षमता और कम हो गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने आधुनिक सवारी डिब्बों, संरक्षा संबंधी उन्नत विशेषताओं और यात्री सुविधाओं के साथ स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विनिर्मित वंदे भारत स्लीपर गाड़ियां शुरू की है।

इन वंदे भारत स्लीपर गाड़ियों में मुहैया कराई गई व्यापक प्रौद्योगिकीय प्रगति और संरक्षा विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- झटका मुक्त सेमी परमामेंट कपलर एवं एंटी-क्लाइम्बर।
- कवच से सुसज्जित।
- 180/160 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन/परिचालन गति के साथ उच्चतर त्वरण।
- ईएन मानकों के अनुरूप कारबॉडी की दुर्घटनारोधी डिज़ाइन।
- अग्नि संरक्षा मानकों के अनुरूप प्रत्येक सवारी डिब्बे के अंत में अग्नि अवरोधक दरवाजे।
- विद्युत कैबिनेटों और शौचालयों में एरोसोल आधारित अग्नि संसूचन और शमन प्रणाली।
- ऊर्जा दक्षता के लिए रिजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली।
- यात्री क्षेत्र के भीतर स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए अनुकूलित हवा से 99% हानिकारक बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए, एयर कंडीशनिंग इकाइयों में स्वदेशी रूप से विकसित यूवी-सी लैंप आधारित विसंक्रमण प्रणाली लगाई गई है।
- केंद्रीय रूप से नियंत्रित स्वचालित प्लग दरवाजे और पूरी तरह से सीलबंद चौड़े गैंगवे
- सभी सवारी डिब्बों में सीसीटीवी।
- आपातकालीन स्थिति में यात्री और गाड़ी प्रबंधक/लोको पायलट के बीच संप्रेषण के लिए आपातकालीन टॉक-बैक इकाई।
- दिव्यांगजन यात्रियों के लिए ड्राइविंग कोच में दोनों तरफ विशेष शौचालय।
- यात्री सुविधाओं जैसे वातानुकूलन, सैलून प्रकाश व्यवस्था आदि की स्थिति पर निगरानी के लिए केंद्रीकृत सवारी डिब्बा निगरानी प्रणाली।
- ऊपर की शायिकाओं पर चढ़ने में सुगमता के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई सीढ़ी।

इन गाड़ियों को पृथक किराया संरचना, युक्तिसंगत बुकिंग विशेषताओं और भिन्न धन वापसी नियमों के साथ शुरू किया गया है। वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियों के टिकट रद्दकरण और किराया वापसी, रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराया वापसी) संशोधन नियम, 2026 द्वारा शासित है, जो दिनांक 16.01.2026 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 41 (ङ) के अंतर्गत जारी किया गया है।

प्रतीक्षासूचीबद्ध अथवा आंशिक रूप से पुष्टिशुदा टिकटों के रद्द होने की स्थिति में, इन रेल सेवाओं के लिए टिकटों की समय-सीमा और दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा, अनैतिक तत्वों द्वारा सट्टा बुकिंग को निरुत्साहित करने के लिए, इन रेलगाड़ियों की टिकटों के लिए न्यूनतम रद्दकरण शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है।

अधिकांश परिस्थितियों में, टिकटों का रद्दकरण आरक्षण चार्ट तैयार करने के समय से स्वतंत्र है। इसके अलावा, नीति की समीक्षा और युक्तिकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

*******